

निर्णय  
08.11.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2024/601

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
केसराराम बनाम स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 456 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.09.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 25.09.2024 को पेश हो।</p> <p>८१</p> <p>कुलार्ड कंसकन उपास्थता/PU माहक उपखण्ड पत्रावली पेश की। गस्त २०२४ दिनांक २०.०९.२०२४ इ पेश हो।</p>	
08.11.2024	<p>बुकुलार्ड करिडेन उपस्थिता स्टेट लकाक पुस्त हुक्म/आहम में वापस पेश किया। वहस सुनी गई। पत्रावली का उपलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट कागड के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग के लिखाया जाकर शामिल फाइल किया जाके पत्रावली तख्त से कस की जाकर कस तारीख वकील जाका दाखिल दफतर हो।</p> <p>८१</p>	

25.9.2024

08.11.2024

